रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2562] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2010/पौष 3, 1932

No. 2562] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2010/PAUSHA 3, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3042(अ).—यत:, केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न विशेष आर्थिक जोनों के क्षेत्रों को अधिसूचित करती रही थी, जिसके साथ विशेष आर्थिक जोनों के संदर्भ में अनुमोदन समिति का गठन एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के दर्जे को भी अधिसूचित किया जा रहा है;

और यत:, वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ विशेष आर्थिक जोनों के क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था, परन्तु उनके साथ विशेष आर्थिक जोनों की अनुमोदन समिति का गठन एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के दर्जे को अधिसूचित नहीं किया गया था;

और अब, यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ ऐसे परवर्ती वर्ग के विशेष आर्थिक जोनों के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	—अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	—सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	—सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	—विशेष आमंत्रिती

और अब, यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विशेष आर्थिक जोन की मुख्य अधिसूचना की दिनांक को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से ऐसे विशेष आर्थिक जोनों को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 2/93/2005-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2010

S.O. 3042(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had been notifying areas of various Special Economic Zones. Simultaneously, constitution of the Approval Committee and status of Inland Container Depot are also being notified in respect of Special Economic Zones;

And whereas, during the years 2006, 2007 and 2008, some of the notifications had been issued by the Central Government notifying the areas of Special Economic Zones without simultaneously notifying the constitution of the Approval Committee and deemed status of Inland Container Depot for the Special Economic Zones;

And now, therefore, in respect of Special Economic of such latter category, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for such Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone	—Chairperson ex officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member, ex officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	—Member, ex officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	—Member, ex officio
7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of the State	—Members, ex officio
8. Representative of developer of the zone	– Special Invitee

And now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the date of the main notification of the Special Economic Zone as the date from which such Special Economic Zones shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 2/93/2005-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.